



सेन्दुरल बैक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911



## Recovery Department, Zonal Office, Bhopal

### **ENGAGEMENT OF RESOLUTION AGENTS FOR NPA A/CS WITH AN O/S UP TO ₹ 10 CR AT ZONAL OFFICES:**

#### **Eligible Agencies for Empanelment:**

The following categories of entities will be eligible for empanelment as Resolution Agents.

- Reputed Management Consultants.
- Accounting firms/ CAs.
- Company \Firms with experience in Resolution/ Recovery in impaired\stressed assets.
- Management\Business Recovery Services.
- Company\Firms set up by reputed Corporate\NBFCs for the purpose with experience in Resolution/ recovery in impaired/ stressed assets.
- NBFCs, ARCs, Reputed Management Consultants/ Companies, dealing in the same field for last more than 3 years with good Track record, meaning thereby past performance, achievements, or failures in it.

#### **Period of Empanelment:**

Initially, the eligible agencies shall be empaneled for two year only, in exceptional cases, empanelment for less than two year may be considered. After two years of empanelment the eligible agencies have to apply again. Continuation beyond two years is subject to its approval by Competent Authority.

#### **Termination of Contract:**

In case of unsatisfactory performance, the Contract between the Bank & the Resolution Agent can be terminated after giving one month notice to the Resolution Agent.

#### **Functions/ Duties:**

Resolution Agents should do all endeavors for recovery through Negotiation/ SARFAESI/ Litigations etc, all liaising works with all stake holders including Govt Departments/ Semi Govt Offices etc. for realization of the amount of the borrower company's O/s dues. Resolution Agent should be advised in writing, not to take any step or do any act which may constitute as unlawful or illegal act. Resolution Agents should abide by law while recovering bank's dues. Resolution Agent should abide by RBI Guidelines on Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services by banks as per RBI/2006/167 DBOD.No.BP.40/21.04.158/2006-7 dated 03/11/2006.

### **Commission/ Remuneration to Resolution Agents:**

Commission/ Remuneration to Resolution Agents in NPA A/cs with an O/s up to Rs 25.00 Crore, out of Cash Recovery made will be as under-

S.No.	Outstanding amount	With Security		Without Security	
		Commission in % of amount recovered	Max Commission excluding GST (Rs in Lakh)	Commission in % of amount recovered	Max Commission excluding GST (Rs in Lakh)
1	NPA A/cs with an O/s up to Rs 10.00 Cr	5%	10.00	6%	15.00
2	NPA A/cs with an O/s above Rs 10.00 Cr & up to Rs 15.00 Cr	4%	12.00	5%	20.00
3	NPA A/cs with an O/s above Rs 15.00 Cr & up to Rs 20.00 Cr	3%	15.00	4%	25.00
4	NPA A/cs with an O/s above Rs 20.00 Cr & up to Rs 25.00 Cr	2%	20.00	3%	30.00

Applicable GST will be paid over & above the applicable commission.

Amount of commission shall be paid on the amount recovered after deduction of TDS/ any other tax liable to be deducted at source

In case the Resolution Agent brings the NPA Defaulter on negotiation table for OTS settlement & borrower agrees for OTS settlement, the commission will be paid as per prescribed rate on the amount recovered other than Non Discretionary Non-Discriminatory OTS Scheme

### **How to apply:**

Applicants are requested to send the following documents at the below mentioned address -

- 1) Biodata
- 2) Past experience and competence to implement and support the proposed activity over the contracted period

**Recovery Department, Central Bank of India, Zonal Office, 9 Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh – 462011**

Kindly note that the applications must reach our office on or before 21<sup>st</sup> July 2023 & please inform us about the dispatch of application on our email id – [recvbhopzo@centralbank.co.in](mailto:recvbhopzo@centralbank.co.in)



सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911



### वसूली विभाग, आंचलिक कार्यालय, भोपाल

आंचलिक कार्यालयों में 10 करोड़ रुपये तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों के लिए रेजोल्युशन एजेंटों की नियुक्ति:

#### पैनल में शामिल होने के लिए योग्य एजेंसियां:

निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएं रेजोल्युशन एजेंटों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र होंगी।

- प्रतिष्ठित प्रबंधन सलाहकार।
- लेखा फर्म / सीए।
- कंपनी / फर्म जिनके पास बाधित/ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में रेजोल्युशन / वसूली का अनुभव हो।
- प्रबंधन/बिजनेस रिकवरी सेवाएं।
- प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट/एनबीएफसी द्वारा स्थापित कंपनी/फर्म जिनके पास बाधित/तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के रेजोल्युशन /वसूली में अनुभव हो।
- एनबीएफसी, एआरसी, प्रतिष्ठित प्रबंधन सलाहकार / कंपनियां, जो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही क्षेत्र में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड अर्थात पिछला प्रदर्शन, उपलब्धियां या व्याप्त विफलताओं के साथ काम कर रही हैं

#### पैनल में शामिल होने की अवधि:

प्रारंभ में, पात्र एजेंसियों को केवल दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, असाधारण मामलों में, दो वर्ष से कम के लिए पैनल पर विचार किया जा सकता है। दो साल के पैनल में शामिल होने के बाद पात्र एजेंसियों को फिर से आवेदन करना होगा। दो वर्ष से अधिक की निरंतरता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

#### अनुबंध की समाप्ति:

असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, रेजोल्युशन एजेंट को एक महीने का नोटिस देने के बाद बैंक और रेजोल्युशन एजेंट के बीच अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

#### कार्य / कर्तव्य:

रेजोल्युशन एजेंटों को उधारकर्ता कंपनी की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकारी विभागों/अर्ध-सरकारी कार्यालयों आदि सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत /सरफेसी/मुकदमेबाजी आदि के लिए प्रयास करने चाहिए। रेजोल्युशन एजेंट को लिखित में सलाह दी जानी चाहिए कि वह कोई भी कदम न उठाए या ऐसा कोई कार्य न करे जो गैरकानूनी या अवैध कार्य के रूप में हो सकता है। रेजोल्युशन एजेंटों को बैंक की बकाया राशि की वसूली करते समय कानून का पालन करना चाहिए। रेजोल्युशन एजेंट को आरबीआई/2006/167 डीबीओडी सं.बीपी.40/21.04.158/2006-7 दिनांक 03/11/2006 के अनुसार बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

#### समाधान एजेंटों को कमीशन/पारिश्रमिक:

25.00 करोड़ रुपये तक की नकद वसूली में से एनपीए खातों में रेजोल्यूशन एजेंटों को कमीशन/पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा-

क्रम	बकाया राशि	प्रतिभूति के साथ		प्रतिभूति के बिना	
		वसूल की गई राशि का कमीशन % में	जीएसटी को छोड़कर अधिकतम कमीशन (रुपये लाख में)	वसूल की गई राशि का कमीशन % में	जीएसटी को छोड़कर अधिकतम कमीशन (रुपये लाख में)
1	10.00 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले एनपीए खाते	5%	10.00	6%	15.00
2	10.00 करोड़ रुपये से अधिक और 15.00 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले एनपीए खाते	4%	12.00	5%	20.00
3	15.00 करोड़ रुपये से अधिक और 20.00 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले एनपीए खाते	3%	15.00	4%	25.00
4	20.00 करोड़ रुपये से अधिक और 25.00 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले एनपीए खाते	2%	20.00	3%	30.00

लागू जीएसटी का भुगतान लागू कमीशन के ऊपर किया जाएगा।

टीडीएस/स्रोत पर काटे जाने वाले किसी अन्य कर की कटौती के बाद वसूली गई राशि पर कमीशन की राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि रेजोल्यूशन एजेंट एनपीए डिफॉल्टर को ओटीएस निपटान के जरिए बातचीत के लिए तैयार करता है और उधारकर्ता ओटीएस निपटान के लिए सहमत होता है, तो गैर-विवेकाधीन गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के अलावा वसूल की गई राशि पर निर्धारित दर के अनुसार कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

**आवेदन कैसे करें:**

आवेदकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेज नीचे दिए गए पते पर भेजें -

- 1) बायोडाटा
- 2) अनुबंधित अवधि में प्रस्तावित गतिविधि को कार्यान्वित और समर्थन करने का पिछला अनुभव और क्षमता

**वसूली विभाग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, 9 अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश-462011**

कृपया ध्यान दें कि आवेदन **21 जुलाई 2023** को या उससे पहले हमारे कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए. कृपया हमारी ईमेल आईडी - [recvbhopzo@centralbank.co.in](mailto:recvbhopzo@centralbank.co.in) पर आवेदन भेजने के बारे में हमें सूचित करें।